सूचना का अधिकार

अतिआवश्यक

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101 / 127 / 2022)लोसू / आकाशि / 2005 / 455-466 दिनांकः–28-2-2022

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू / सूअप्र / 2009 पार्ट–2 दिनांक 3–2–2022 के द्वारा अवगत कराया है कि RTI Online Portl (www.rti.rajasthan.gov.in) पर दर्ज सूचना के आवेदनों व प्रथम अपीलों का अवलोकन करने पर पाया गया है कि कई विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों / अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना के आवेदनों / अपीलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है तथा कई विभागों द्वारा निश्चित समयावधि में निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक विधिक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील करने का प्रावधान है। राज्य लोक सूचना अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि सूचना के आवेदनों का निस्तारण निश्चित समयावधि में करें, अन्यथा आवेदकों द्वारा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर सूचना आयोग द्वारा शास्ति लगाये जाने का प्रावधान है। यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में सूचनाएँ प्रदान की जाती है, तो कम संख्या में आवेदकों द्वारा प्रथम व द्वितीय अपीलें दायर की जावेंगी, जिससे राजकीय समय व व्यय की बचत होगी।

RTI Online Portl पर दर्ज सूचना के आवेदन व प्रथम अपील के निस्तारण में आ रही तकनीकी समस्याओं के लिये सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग की ई–मेल rti.helpdesk@rajasthan.gov.in (Contact No. 01412921314 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः समस्त लोक प्राधिकरण अपने विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को ऑनलाईन / ऑफलाईन सूचना के आवेदनों तथा अपीलों का निस्तारण निश्चित समयावधि में करने तथा प्रतिदिन मोनिटरिंग करवाये जाने हेतु निर्देशित किया हैं।

इस संबंध में इस विभाग, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों (SPIO) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101 / 127 / 2022)लोसू / आकाशि / 2005 / 455-466 दिनांकः–28-2-2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू / सूअप्र / 2009 पाट–2 दिनांक 3–2–2022 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्टर, राजस्थान सूचना आयोग राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. चौराहा, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
11. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित) राजस्थान।
12. वेबसाईट प्रभारी–आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

96 · 8542319
16.2.2022

आजादी का अमृत महोत्सव

M02

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

175
11/2/22

क्रमाक प. 20(84) प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट–2 जयपुर, दिनांक : 03-02-2022

परिपत्र

RTI Online Portl(www.rti.rajasthan.gov.in) पर दर्ज सूचना के आवेदनों व प्रथम अपीलों का अवलोकन करने पर पाया गया है कि कई विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना के आवेदनों/अपीलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है तथा कई विभागों द्वारा निश्चित समयावधि में निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जो अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विधिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील करने का प्रावधान है। राज्य लोक सूचना अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि सूचना के आवेदनों का निस्तारण निश्चित समयावधि में करें अन्यथा आवेदकों द्वारा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर सूचना आयोग द्वारा शास्ती लगाये जाने का प्रावधान है। यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में सूचनाएं प्रदान की जाती है, तो कम संख्या में आवेदकों द्वारा प्रथम व द्वितीय अपीलें दायर की जावेगी, जिससे राजकीय समय व व्यय की बचत होगी।

RTI Online Portl पर दर्ज सूचना के आवेदन व प्रथम अपील के निस्तारण में आ रही तकनीकी समस्याओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ईमेल rti.helpdesk@rajasthan.gov.in(Contact No. 01412921314) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः समस्त लोक प्राधिकरण अपने विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को ऑनलाईन/ऑफलाईन सूचना के आवेदनों तथा अपीलों का निस्तारण निश्चित समयावधि में करने तथा प्रतिदिन मोनिटरिंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–
1. सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

3.2.22
शासन उप सचिव

पता– कमरा न0 8224, उत्तरी पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष न. 3644 (आई.पी.)
Website- www.ard.rajasthan.gov.in